न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 21 / 2017 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. हरिकिशन पुत्र रेवडया } जाति मीना निवासी कोटवालो का बास
2. रामकिशोर पुत्र रेवडया } तहसील बसवा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र काना जाति छीपी निवासी नांगल झामरवाडा हाल निवासी सांगानेर जयपुर जिला जयपुर
2. अध्यक्ष अलोटमैन्ट कमेटी, तहसील बसवा जिला दौसा
3. तहसीलदार, तहसील बसवा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 04.07.1971 ग्राम नांगल झामरवाडा अराजी खसरा नं0 395 रकबा 10 बीघा हाल खसरा नं0 780 व 785।

उपस्थिति : श्री बी. एल. शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री सुमेश विजय अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– २१.12.2017

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नांगल झारमरवाडा तहसील बसवा स्थित अराजी खसरा नं. 395 रकबा 10 बीघा भूमि का अलाटमैन्ट भौरी बेवा काना धोबी के नाम दिनाक 04.07.1971 को किया गया। उक्त भूमि के हाल खसरा नं. 780 रकबा 0.50 है0, खसरा नं 785 रकबा 2.03 है0 कुल किता 2 रकबा 2.53 है0 है। उक्त आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि भौरी का निधन हो गया है इसलिए रेस्पोडेन्ट नं. 01 को पक्षकार बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अपने नाम दर्ज खातेदारी की आड में उक्त भूमि को दीगर व्यक्ति को बेचने की धमकी देने एवं अलोटमैन्ट की नकल प्राप्त होने से जानकारी हुई है। अलोटमैन्ट की नकल दिनांक 10.10.2017 को प्राप्त हुई है जानकारी के अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट सहित प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया गया है। प्रश्नगत भूमि के खसरा नं. पुराने 395 कायम रहे है जिसके नये खसरा नं. 780 व 785 कायम हुए है पर अपीलान्ट व उसके पूर्वज रेवडया के पिता के समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को अपीलान्ट्स ने लाखो रूपये की लागत व मेहनत से कृषि योग्य बनाया है एवं मौके पर आज दिन तक बिना बाधा व अवरोध के काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये व मौके की जांच किये बिना एवं बिना आवंटन कि प्रकिया किये प्रश्नगत भूमि का आवंटन दिनांक 04.07.1971 को किया गया है। जो निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर उक्त आंवटन आदेश दिनांक 04.07.1971 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि का आंवटन कैलाश को नही होकर भौरी बेवा काना छीपी को हुआ है। भौरी के फौत हो जाने के पश्चात नामान्तरकरण कैलाश पुत्र काना के नाम से खुला है। पूर्व में इसी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 15.06.1998 को प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जा चुका है। पुनः प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का अधिकार नही था। न्यायालय को गुमराह करके पेशशुदा प्रार्थना पत्र पर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है । केवल पंजीकृत विक्रय पत्र की कियान्विति को रूकवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

पूर्व में प्रश्नगत भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 04.07.1971 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) पर पारित निर्णय दिनांक 15.06.1998 के अनुसार प्रार्थना पत्र 14(4) को निरस्त करते हुए आवंटन दिनांक 04.07.1971 को यथावत बनाये रखने के आदेश पारित किये गये है। पुनः इस न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने का कोई औचित्य नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 04.07.1971 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21-12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा